न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **355/2024** दायर दिनाँक **22.10.2024**

वादी		प्रतिवादी
1. इब्राहीम पुत्र रहमत अली, जाति मुसलमान (कसाई) निवासी रामसाबास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना (राज.)	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

1. श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **04.08.2025**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम डीडवाना में खेत खसरा संख्या 2856 रकबा 12.1800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2859 रकबा 0.3000 हैक्टेयर अवस्थित है, जिनकी खातेदारी में वादी की खातेदारी 1/3 हिस्सा की बजाय 1/6 हिस्सा सहवन से दर्ज हो गयी है, जिसका उल्लेख जमाबंदी संवत् 2079 में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरान के पुराने खसरा नम्बर 3230 रकबा 77.02 बीघा थे, जिसकी खातेदारी वादी के पिता स्वर्गीय रहमतअली के तीन जायन्दा पुत्रों वादी इब्राहिम, शफी व मोहम्मद के नाम से 1/2 व सफी पीर मोहम्मद पिता रहमत अली का 1/2 हिस्सा सहवन से दर्ज था, क्योंकि शफी वादी का सगा भाई है तथा पीर मोहम्मद पुत्र रहमतअली नाम का कोई वादी का भाई नहीं था और न है। बल्कि गलती से शफी पीर मोहम्मद दर्ज हो गया। वादी इब्राहीम ने इस गलत अंकन की जानकारी होने पर दुरूस्ती करवाने के आशय से एक राजस्व वादी संख्या 2013/51 दिनांक 25.02.2013 को न्यायालय हाजा में घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया, इस वाद की नियमानुसार सुनवाई कर दिनांक 29.09.2016 को निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा इस निर्णय व डिक्री की पालना में पीरमोहम्मद नाम के गलत अंकन को हटाया जाकर वादी इब्राहीम के नाम उक्त खेत का 1/3 हिस्सा, वादी के भाई मोहम्मद के नाम से 1/3 हिस्सा व स्वर्गीय शफी के वारिसान बाबु, अयुब, रफीक, जाकिर, बबलू पिता सफी व राबिया, आसिया, हसीना, मेमूना, खेरूना, महराज पुत्रियां शफी के नाम से 1/3 हिस्सा नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया तथा 1/3 हिस्सा के खेत खसरा संख्या 3893/3230 रकबा 25.14 बीघा की खातेदारी वादी के नाम से दर्ज हो गयी तथा मोहम्मद के नाम से खेत खसरा संख्या 3892/3230 रकबा 25.14 बीघा की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गयी तथा स्वर्गीय शफी के वारिसान के नाम से 1/3 हिस्सा की खातेदारी खसरा संख्या 3230 रकबा 25.14 बीधा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गयी तथा इसी प्रकार पक्षकारान [illegible] हिस्सा पर काबिज अबाध रूप से चले आ रहे हैं तथा वर्तमा[illegible] भी [illegible] प्रकार पक्षकारान की काश्त मौजुद है। वादी के भाई शफी की म[illegible] जाने व उसकी जगह उनके वारिसान के [illegible] खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो [illegible] वारिसान ने अपने बंट व कब्जा काश्त में आये खेत खसरा संख्या 3230 रकबा 25.14

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:22:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अ[illegible]
डीडवाना

बीघा का आपस मे बंटवारा न्यायालय हाजा के राजस्व वाद संख्या 2017/63 निर्णय दिनांक 23.06.2017 के आदेश व तहसीलदार डीडवाना के आदेश दिनांक 29.06.2017 की पालना में नामान्तकरण किया गया तथा नामान्तकरण दिनांक 04.07.2017 को स्वीकार किया। बंटवारा की पालना में नामान्तकरण संख्या 4569 दिनांक 04.07.2017 के जरिये उक्त खेत खसरा संख्या 3230 रकबा 25.14 बीघा में से मोहम्मद अयुब पुत्र शफी के बंट में खसरा संख्या 3932/3230 रकबा 5.02 बीघा, बल्लू उर्फ मोहम्मद जहांगीर पुत्र शफी के बंट में 3230 रकबा 5.03 बीघा, बाबु पुत्र शफी के बंट में खसरा संख्या 3933/3230 रकबा 5.03 बीघा, रफीक पुत्र शफी के बंट में खसरा संख्या 3931/3230 रकबा 5.03 बीघा, जाकिर पुत्र शफी के बंट में खसरा संख्या 3930/3230 रकबा 5.03 बीघा आयी तथा इसी प्रकार पक्षकारान अपने अपने बंट व हिस्से मे आयी जमीनों पर काबिज है। तथा उक्त खातेदारी का उल्लेख राजस्व रेकर्ड व जमाबंदी में दर्ज है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.01.2018 की पालना में वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त व बंट के खेत खसरा संख्या 3893/3230 रकबा 25.14 बीघा में से खसरा संख्या 3949/3893 रकबा 1.17 बीघा भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हो गयी तथा वादी की खातेदारी व बंट में खसरा संख्या 3893/3230 रकबा 12.02 बीघा व खसरा संख्या 3950/3893 रकबा 11.15 बीघा कुल 23.17 बीघा रही क्योंकि 25.14 बीघा में से 1.17 बीघा रास्ते में चली जाने से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हो गया, तथा इसी प्रकार वादी के भाई मोहम्मद की खातेदारी, कब्जा काश्त व बंट के खेत खसरा संख्या 3892/3230 रकबा 25.14 बीघा में से खसरा संख्या 3951/3892 रकबा 1.12 बीघा रास्ते में चली जाने से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हो गया तथा तब मोहम्मद की खातेदारी में शेष भूमि खसरा संख्या 3892/3230 रकबा 04.03 बीघा व खसरा संख्या 3952/3892 रकबा 19.19 बीघा कुल 24.02 बीघा शेष रही तथा इसी प्रकार सहायक कलक्टर डीडवाना के आदेश दिनांक 21.11.2017 व तहसीलदार के आदेश दिनांक 23.08.2018 की पालना में वादी के भाई शफी के पुत्र बबलु उर्फ जहांगीर की खातेदारी व बंट की खसरा संख्या 3230 रकबा 5.03 बीघा में से रास्ते में चली जाने से खसरा संख्या 3968/3230 रकबा 0.07 बीघा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हो गया तथा शेष खसरा संख्या 3230 रकबा 4.15 बीघा व खसरा संख्या 3970/3230 रकबा 0.01 बीघा कुल 4.16 बीघा बबलु उर्फ जहॅागीर की खातेदारी व बंट की राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, इस प्रकार गैर मुमकिन रास्ते दर्ज हो जाने से पक्षकारान की भूमियां टुकड़ों में बंट गयी और अलग अलग खसरा संख्या हो गये तथा इसी प्रकार वादी के भाई शफी के पुत्र जाकिर की खातेदारी व बंट की भूमि खसरा संख्या 3969/3230 रकबा 5.03 बीघा में से 0.03 बीघा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हो जाने से जाकिर की खातेदारी व बंट में खसरा संख्या 3930/3230 रकबा 5 बीघा रह गयी क्योंकि रास्ते के दर्ज होने से अलग खसरा नम्बर दर्ज हो गया है। इस प्रकार सभी उपरोक्त वर्णित लोगों के नाम से खातेदारी दर्ज हो रखी है तथा मौके पर कानूनी रूप से बंटवारा करके काबिज है। न्यायालय हाजा के नि[illegible] की पालना में वादी व उसके भाई मोहम्मद व शफी तीनों के [illegible] उक्त खेत में से 1/3 हिस्सा की अलग अलग [illegible] में पिछले वर्ष राजस्व कर्मचारियों की गलती से गलत अंकन [illegible] में हो गया है, जो अंकन दुरूस्त किया जाना कानून सम्मत है। उक्त सम्पूर्ण 77.02 बीघा खेत तीनों भाईयों के 1/3–1/3 में रहा है, तथा उन[illegible]द वादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:22:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

खातेदारी में से गैर मुमकिन रास्ता का अंकन होने व वादी के भाई शफी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम से नामान्तकरण होकर खातेदारी दर्ज होने व उसके बाद स्वर्गीय सफी के पुत्रों द्वारा कानूनी रूप से बंटवारा करने व वादी के भाई शफी के पुत्र बबलू उर्फ जहाँगीर व जाकिर के खेत में से कटाणी रास्ते दर्ज हो जाने व वादी के भाई मोहम्मद के बंट के हिस्से में से कटाणी रास्ता का अंकन हो जाने से समय समय पर खेतों का टुकड़ों में विभाजन होकर अलग अलग खसरा नम्बरों का अंकन राजस्व रेकर्ड में हो गया जो सही है तथा वर्तमान में यह यथावत रहेगा। इनकी खातेदारी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते है। इस प्रकार सम्पूण 77.02 बीघा भूमि का तीनों भाईयों के नाम से अंकन होकर बार बार बंटवारा नियमानुसार होकर अलग अलग खसरा संख्या हो गये, ऐसी स्थिति में वर्तमान जमाबंदी में उक्त अंकन के विपरीत पुरानी जमाबंदी को आधार मानकर गलत अंकन कर दिया, जो गैर कानूनी होने से प्रथम दृष्टया ही दुरूस्ती योग्य है। अतः यह वाद बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है:–

जमाबंदी संवत 2078–81 जमाबंदी 2079 (2023) में सहवन से खेत खसरा संख्या 2856 रकबा 12.1800 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2859 रकबा 0.300 हैक्टेयर कुल 12.4800 हैक्टेयर वाके डीडवाना का गलत अंकन पुरानी जमाबंदी संवत् 2070–73 को ध्यान में रखते हुये किया गया गलत अंकन हटाया जाकर उसी जमाबंदी में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 29.11.2016 के अनुसार उक्त अंकन दुरूस्त कर सही अंकन रखा जावे तथा इस निर्णय के बाद में समय समय पर कानूनी रूप से बंटवारा होकर फौतगी नामान्तकरण स्वीकृत कर व गैर मूमकिन रास्तों का नामान्तकरण नियमानुसार कर वाद में वर्णितानुसार वादी व अन्य पक्षकारान की खातेदारी यथावत रखने का आदेश प्रदान करावें।

वादीग का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/प.1(10)रीडर/2025/140 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार डीडवाना के खेत खसरा संख्या 2856 व 2859 के सेटलमेंट पूर्व के खसरा नम्बर 3230 है, जो कि 77.02 बीघा है, जिसकी खातेदारी शफी, इब्राहिम व मोहम्मद पि. रहमतअली कौम व्यापारी हिस्सा 1/2, सफी पीर मो. पि. रहमतअली 1/2 कौम व्यापारी सा. देह के नाम से खातेदारी दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 4527/29.11.2016 (डिक्री आदेश) से खसरा संख्या 3230 का नामान्तकरण इब्राहिम पुत्र रहमत अली कौम मुसलमान (कसाई) सा. रामसाबास का खातेदार खसरा संख्या 3893/3230 रकबा 25.14 बीघा किस्म बारानी 2 लगान 7.11 रू के रूप में, मोहम्मद पुत्र रहमत अली कौम मुसलमान (कसाई) सा. रामसाबास का खातेदार खसरा संख्या 3892/3230 रकबा 25.14 बीघा किस्म बारानी 2 लगान 7.11 रू के रूप में तथा बाबू, अयूब, रफीक, जाकिर, बबलू पि. शफी, रबिया, हसीना, मैमूना, खेरून, मेहराज पुत्रियां शफी कौम मुसलमान (कसाई) सा. रामसाबास का खातेदार खसरा संख्या 3230 रकबा 25.14 बीघा किस्म बारानी 2 लगान 7.11 रू के रूप में [illegible] हुआ।

तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या [illegible] के अनुसार खसरा संख्या 3230 रकबा 25.14 बीघा [illegible] अयूब पुत्र शफी [illegible] मुसलमान सा. रामसाबास का खातेदार खसरा संख्या 3932/3230 रकबा 5.02 बीघा के रूप में, बबलू उर्फ मो. जहांगीर पुत्र शफी कौम मुसलमान सा. [illegible]मसाबास का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:22:04 IST
Reason: SelfAttested

vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

खातेदार खसरा संख्या 3230 रकबा 5.03 बीघा के रूप में, बाबू पुत्र शफी कौम मुसलमान सा. रामसाबास का खातेदार खसरा संख्या 3933/3230 रकबा 5.03 बीघा के रूप में, रफीक पुत्र शफी कौम मुसलमान सा. रामसाबास का खातेदार खसरा संख्या 3931/3230 रकबा 5.03 बीघा के रूप में, जाकिर पुत्र शफी कौम मुसलमान सा. रामसाबास का खातेदार खसरा संख्या 3930/3230 रकबा 5.03 बीघा के रूप में अंकन स्वीकृत हुआ।

नामान्तकरण संख्या 4629/09.01.2018 (आदेश) से खसरा संख्या 3893/3230 रकबा 25.14 बीघा के स्थान पर खसरा संख्या 3949/3893 रकबा 1.17 बीघा किस्म गै.मु.रास्ता खसरा संख्या 3893/3230 रकबा 12.02 बीघा खसरा संख्या 3950/3893 रकबा 11.15 बीघा किस्म बारानी 2 स्वीकृत हुआ एवं खातेदारों का इन्द्राज यथावत् रहा एवं नामान्तकरण संख्या 4629/09.01.2018 (आदेश) से खसरा संख्या 3892/3230 रकबा 25.14 के स्थान पर खसरा संख्या 3951/3892 रकबा 1.12 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता खसरा संख्या 3892/3230 रकबा 4.03 बीघा किस्म बारानी 2 खसरा संख्या 3952/3892 रकबा 19.19 बीघा किस्म बारानी 2 स्वीकृत हुआ। खातेदारों का इन्द्राज यथावत् रहा।

नामान्तकरण संख्या 4703/05.09.2018 (आदेश) से खसरा संख्या 3230 रकबा 5.03 बीघा में से नवीन खसरा संख्या 3968/3230 रकबा 0.07 बीघा किस्म गै.मु.रास्ता, खसरा संख्या 3230 रकबा 4.15 बीघा, खसरा संख्या 3970/3230 रकबा 0.01 बीघा बा. 2 बदस्तूर। नामान्तकरण संख्या 4703/05.09.18 (आदेश) के खसरा संख्या 3930/3230 रकबा 5.03 बीघा में से नवीन खसरा संख्या 3969/3230 रकबा 0.03 बीघा किस्म गै.मु.रास्ता स्वीकृत। खसरा संख्या 3930/3230 रकबा 5.00 बीघा बा. 2 बदस्तुर। रिपोर्ट के अनुसार उक्त सभी नामान्तकरणों यथा नामान्तकरण संख्या 4527, 4569, 4629 तथा 4703 का सेटलमेंट द्वारा अमल नहीं किया जाकर यथावत् जमाबंदी संवत् 2070–73 के जैसे रख दिया, उक्त नामान्तकरणों का नवीन जमाबंदी में अमल किया जाना उचित है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद डीडवाना के खेत खसरा संख्या 2856, 2859 में सहवन से सेटलमेंट के दौरान हुए गलत अंकन को हटाया जाकर जमाबंदी में सहायक कलेक्टर डीडवाना के निर्णय दिनांक 29.11.2016 के अनुसार तथा इस निर्णय के बाद में हुए सभी नामान्तकरणों का नवीन जमाबंदी में अमल किये जाने की वादी इस्तदूआ कर रहा है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार उक्त सभी नामान्तकरणों यथा नामान्तकरण संख्या 4527, 4569, 4629 तथा 4703 का सेटलमेंट द्वारा अमल नहीं किया जाकर यथावत् जमाबंदी संवत् 2070–73 के जैसे रख देने के कारण वादी के सही अंकन होने [illegible] को स्वीकार किया जा सकता है। अतः बाद विवेचन, वादी का हस्त[illegible] वाद [illegible]ार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:22:04 IST
Reason: SelfAttested

आदेश :-

सरहद डीडवाना के खेत खसरा संख्या 2856 तथा 2859 में नामान्तकरण संख्या 4527/29.11.16, नामान्तकरण संख्या 4569/04.07.17,

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

4629/09.01.2018 तथा नामान्तकरण संख्या 4703/05.09.18 के अनुसार जमाबंदी में दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **04.08.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:22:04 IST
Reason: SelfAttested